

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-28102020-222781
SG-DL-E-28102020-222781

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 235]	दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 27, 2020/कार्तिक 5, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 183
No. 235]	DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2020/KARTIKA 5, 1942	[N. C. T. D. No. 183

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2020

सं. 31/2020-राज्य कर

सं. फा. 3(54)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/132.— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30/06/2017, जिसे सं. फा. 3(14)/वित्त (राजस्व- I)/2017-18/डीएस-VI/358 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं :—

तालिका

क्र०सं० (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (2)	कर अवधि (4)	शर्त (5)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	शून्य	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		शून्य	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।”

2. यह अधिसूचना 20 मार्च 2020 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

नोट: मूल अधिसूचना सं 13/2017-राज्य कर, दिनांक 30/06/2017, जिसे सं. फा. 3(14)/वित्त (राजस्व- I)/2017-18/जीएस-VI/358 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था ।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 27th October, 2020

No. 31/2020- State Tax

No. F. 3(54)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/132.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.13/2017- State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(14)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/358, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that, the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons, mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in FORM GSTR-3B, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, but furnish the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (5) of the said Table, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Rate of interest (3)	Tax period (4)	Condition (5)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter	February, 2020, March 2020, April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020, March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of June, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	Nil	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
			March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3 rd day of July, 2020
			April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6 th day of July, 2020.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 20th day of March, 2020.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: The principal notification number 13/2017 – State Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F. 3(14)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/358, dated the 30th June, 2017.